RRNo. 371

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.4(1)साप्र/2/2011 जयपुर, दिनांक 20 मई, 2011

— आदेश —

श्री मधुकर गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान,जयपुर को पूर्व में राजकीय आवास संख्या I/29, गाँधीनगर, जयपुर आवंटित था । श्री गुप्ता का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने एवं पुनः जयपुर में पदस्थापन्न के मध्य की आवास अवधि दिनांक 19.04.2010 से 05.09.2010 तक को इस आधार पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 10(ix) के प्रावधानान्तर्गत साधारण किराये की दर पर नियमित किया जाता है कि श्रीमती किरण सोनी गुप्ता तत्समय संभागीय आयुक्त, जयपुर के पद पर पदस्थापन्न के दौरान उक्त राजकीय आवास में co-sharer के रूप में आवासित थी ।

उक्त अवधि के दौरान राजकीय आवास I/29, गाँधीनगर, जयपुर को काल्पनिक (Notional) तौर पर श्रीमती किरण सोनी गुप्ता के नाम मानते हुए अब पुनः दिनांक 6.9.2010 से यह आवास श्री मधुकर गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज.,जयपुर को पूर्व शर्तों के आधार पर आवंटित किया जाता है ।

O/C (Pub.)
25-5-2011

आज्ञा से,

20.5.11

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संभागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. श्री मधुकर गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. श्रीमती किरण सोनी गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं मंत्रिमण्डल सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
4. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क–1) विभाग ।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
7. मुख्य लेखाधिकारी / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग / जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., गांधीनगर, जयपुर ।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम प्रथम तल योजना भवन, जयपुर – कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपडेट कराने का श्रम करावें ।
10. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर ।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर ।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ।
14. रक्षित पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव

RR No. 373
25-5-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)साप्र/2/2011 जयपुर, दिनांक 20 MAY 2011

–: आदेश :–

निम्न अधिकारी को उनकी द्वितीय श्रेणी की वरियतानुसार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटित किया जाता हैं :–

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनांक
1.	23/11 द्वितीय श्रेणी	श्री तारा चन्द मीणा आर.ए.एस. अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) उत्तर जयपुर।	2/5, हीराबाग जयपुर	30.6.2024

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास आवंटन की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

OIC (Web.)
25-5-2011

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–4) विभाग।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर/हीराबाग जयपुर।
8. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर – **कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
10. श्री तारा चन्द मीणा, आर.ए.एस., अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) उत्तर, जयपुर।
11. निदेशक, उद्यान विङ्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें।
13. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

RRHo. 375
25-5-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/11 जयपुर, दिनांक : 20.5.2011

-: आदेश :-

श्रीमती अनिता सिंह, नर्स ग्रेड-II, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या 144/2009 व सेवा निवृति दिनांक 31.5.2030 होने पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के **नियम 27 के तहत नियमों में शिथिलता प्रदान कर "आउट ऑफ टर्न"** के आधार पर नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या 4/70, गॉधीनगर जयपुर निम्न शर्तो पर एतद्द्वारा आवंटित किया जाता है :-

शर्ते :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तंत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नही किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

OIC(Web.)
A
25-5-2011

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर। 2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. उप सचिव(वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी डायरी सं. एफ11001585 दिनांक 9.5.11 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
4. अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर। 5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम्प, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर-- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता,सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर,जयपुर।
9. संबंधित कर्मचारी ।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव